भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 8

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 03 फरवरी, 2025

14 माघ, 1946 (शक)

संरक्षण और रख-रखाव के लिए सीएसआर निधि

8. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए सीएसआर निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में स्मारकों और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है और इसके लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार को देश में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव कार्य के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर) निधि प्राप्त हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संस्कृति निधि को 1861.60 लाख रूपए प्राप्त हुए हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से कोई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि प्राप्त/खर्च नही हुई हैं। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्योरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय ने पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करने और उन्हें पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए निजी/सरकारी सेक्टर की कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों/न्यासों/सोसाइटियों आदि के साथ मिलकर एक ढांचा तैयार करने के लिए अनन्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के लिए एडॉप्ट ए हैरिटेज कार्यक्रम 2.0 भी शुरू किया है। आज की तारीख तक, विभिन्न राज्यों में कुल 21 समझौता ज्ञापन किए गए हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश से किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण और रख-रखाव संबंधी कार्य करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित राशि(करोड़ रूपए में)
1.	2021-22	5.75
2.	2022-23	11.60
3.	2023-24	14.70

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 03.02.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 8 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में एनसीएफ के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण

2021-22

क्र .सं.	परियोजना	सीएसआर द्वारा वित्त पोषित	के बीच समझौता ज्ञापन	राशि (लाखों में)
1.	आत्मनिर्भर भारत परियोजना (एबीसीडी परियोजना)	भारतीय स्टेट बैंक , मुंबई	एसबीआई-एनसीएफ-आईजीएनसीए	1000
2.	विष्णु मंदिर ,बटेश्वर ,मध्य प्रदेश का संरक्षण	इन्फोसिस फाउंडेशन	इन्फोसिस-एनसीएफ-एएसआई	100

2022-23

क्र .सं.	परियोजना	सीएसआर द्वारा वित्त पोषित	के बीच समझौता ज्ञापन	राशि (लाखों में)
1.	विष्णु मंदिर ,बटेश्वर ,मध्य प्रदेश का संरक्षण	इन्फोसिस फाउंडेशन	इन्फोसिस-एनसीएफ-एएसआई	100
2.	देवबलोदा ,छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विरासत स्थल का जीर्णोद्धार और विकास	भिलाई इस्पात संयंत्र	भिलाई स्टील संयंत्र-एनसीएफ-एएसआई	158.80
3.	श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर नुग्गेहल्ली ,बेंगलुरु में संरक्षण कार्य और पर्यटक सुविधाएं प्रदान करना	श्रीमती एन .नररत्नम्मा	श्रीमती एन .नररत्नम्मा -एनसीएफ-एएसआई	55

2023-24

क्र .सं.	परियोजना	सीएसआर द्वारा वित्त पोषित	के बीच समझौता ज्ञापन	राशि (लाखों में)
1.	विष्णु मंदिर ,बटेश्वर ,मध्य प्रदेश का संरक्षण	इन्फोसिस फाउंडेशन	इन्फोसिस-एनसीएफ-एएसआई	100
2.	श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर नुग्गेहल्ली , बेंगलुरु में संरक्षण कार्य और पर्यटक सुविधाएं प्रदान करना	श्रीमती एन . नररत्नम्मा	श्रीमती एन .नररत्नम्मा -एनसीएफ-एएसआई	55
3.	कमलापुरा ,कर्नाटक में एएसआई हम्पी संग्रहालय का डिजिटल उन्नयन	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	एएआई-एनसीएफ-एएसआई	292.80

*****